न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 107 / 2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

गोला पाहन – विक्रेता

सुचिता भेंगरा – क्रेता

(1)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

06.08.18

आदेश

आवेदक गोला पाहन पिता स्व0 डोंका पाहन ग्राम कर्रा रोड नवाटोली, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने सुचिता भेंगरा पिता स्व0 सोमरा भेंगरा पाहन ग्राम कुसुमटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
खूँटी	83	05	175	0.06

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय / जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद स0 1493200792 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 702 दिनांक 02.08.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम अर्जुन पाहन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार मंगरा वो डोका पाहन वगैरह के नाम भूमि का रकवा 10. 74¾ एकड़ है। आवेदक के पास 2.62½ एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 148984.00(एक लाख अड़तालीस हजार नौ सौ चौरासी)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रंय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.62½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, प्रहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदकक्रेता – विक्रेता को भूमिक्रय – विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण गोला पाहन पिता स्व0 डोंका पाहन को सुचिता भेंगरा पिता स्व0 सोमरा भेंगरा पाहन के साथ ग्राम खूँटी के खाता सं0 05 खेसरा संख्या 175 का कुल रकबा 0.06 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 148984.00(एक लाख अड़तालीस हजार नौ सौ चौरासी) रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

06/08/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

06/08/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।